

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर





राजेश कुमार

बनाम

सहायक अभियंता, सार्व.नि.विभाग, रुपनगढ

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर-.....60 वर्ष:-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.6.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 12.7.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
18-7-24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 4-10-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
4-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उव. अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। तामील बुदा व अप्रार्थी सं. अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8-11-24 को पेश हो। प्राप्त।</p>	
8-11-24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की पुनः तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-12-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	<p>राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत।</p> <p style="text-align: right;"></p>
29-11-24	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण को विद्रो करने बाबत तलब करने के मौखिक निवेदन पर पत्रावली तलब की गई वकील प्रार्थी ने प्रकरण में विद्रो करना जाहिर किया, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जरिये विद्रोल खारिज किया जाता है।</p>	

मु.नं. 60/24 राजेश कुमार / सहायक आभिनव

पराकाशी फैसल कुमार डीकर नम्बर से कम

डी
K. S. Jaiswal
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)